प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
बलियां।

सेवामें,

प्रबन्धक,
डा0 आई0 डी0 वर्मा पब्लिक स्कूल,
गड़वार, बलिया ।

पत्रांक / 1444-48 /2014–15 दिनांक 23.5.2016

विषयः ***निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रयोजन हेतु उत्तर प्रदेश निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 के नियम–11 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण–पत्र।***

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश सं0–442/79–6–2011 दिनांक 19 मई 2011 के अनुपालन में आपके विद्यालय का कक्षा नर्सरी से कक्षा 08 तक दिनांक 01.07.2013 से 30.06.2016 तक तीन वर्षो की अवधि के लिए औपबन्धिक मान्यता सम्प्रेषित किया गया था।

उक्त के सम्बन्ध में आप द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र पर क्षेत्रीय खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा की गयी जॉच एवं संस्तुति के उपरान्त शासन द्वारा प्रसतुत निर्गत राजाज्ञा सं0–418/79–6–2013–18 एस(7)/79 दिनांक 8 मई 2013 के प्रस्तर 15 में उल्लिखित प्रविधानों के अन्तर्गत एतद्द्वारा कक्षा नर्सरी से कक्षा 08 ....तक की स्थाई मान्यता प्रदान की जाती है उक्त स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के भविष्य में विद्यमान रहने के अधीन होगी।

1. मान्यता के लिए स्वीकृत विस्तारणीय नहीं है और यह किसी भी रूप में कक्षा 8 के बाद मान्यता /सम्बद्धता प्रदान करने के दायित्व को विवक्षित नही करता है।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियमावली 2011 (संलगनक–2) के उपबन्धो का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा एक में, (यथा स्थिति नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा कि सदस्य संख्या के 25 प्रतिशत तक पास–पड़ोस के कमजोर वर्ग और साधनहीन समूह के बालकों को प्रवेश देगा और इनकी शिक्षा पूर्ण होने तक निःशुल्क और अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा उपलब्ध करायेगा, परन्तु अग्रेतर यह कि पूर्व प्रथमिक कक्षाओं के मामले में भी इस सन्नियम का पालन किया जायेगा।
4. प्रस्तर के तीन में सन्दर्भित बालकों के लिए विद्यालय यदि अधिनियम की धारा 12 (2) के अधीन आच्छादित हो तो विद्यालय को तदनुसार प्रतिपूर्ति दी जायेगी। ऐसी प्रतिपूर्तियों को प्राप्त करने के लिए विद्यालय अलग से बैंक खाता उपलब्ध करायेगी।
5. समिति/विद्यालय कोई प्रतिव्यक्ति शुल्क संग्रह नहीं करेगा और बालक अथवा उसके माता–पिता या अभिभावक को किसी जांच प्रकिया के अध्याधीन नहीं करेगा।
6. विद्यालय प्रवेश से वंचित नहीं करेगा–
   (क) बालक का आयु–प्रमाण न होने परें,
   (ख) घर्म, जाति अथवा नस्ल, जन्म स्थान अथवा उनमें से किसी आघार पर।
7. विद्यालय निम्नलिखित बातों को सुनिश्चित करेगा–
   (एक) किसी विद्यालय में प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण होने तक प्रवेश दिये गये किसी बालक का किसी कक्षा में नहीं रोका रखा जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।
   (दो) किसी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न का भागी नहीं बनाया जायेगा।
   (तीन) किसी भी बालक से प्रारम्भिक शिक्षापूर्ण होने तक किसी बोर्ड की परीक्षा उत्तीर्ण करना अपेक्षित नहीं है।
   (चार) प्रत्येक बालक को प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण होने पर नियम 23 के अन्तर्गत निर्घारण के अनुसार एक प्रमाण पत्र वितरित किया जायेगा।

Principal
Dr. I.D.V. Public Scho
Garwar Distt. Ballia (U

Manager
Dr. I.D. Verma Public
Garwar - Ballia

(पांच) अधिनियम के उपबन्ध के अनुसार निःशक्तताग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों का अन्तर्वेशन।

(छः) अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है, और

(सात) अध्यापक निजी अध्यापन क्रियाकलापों के निमित्त स्वयं को नहीं लगायेगा।

8. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा निर्धारित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का अनुसरण करेगा।

9. विद्यालय छात्रों का नामांकन विद्यालय में उपलब्ध सुविधाओं के अनुपात में करेगा जैसा कि अधिनियम की धारा 19 में विनिर्दिष्ट किया गया है।

10. विद्यालय परिसर के भीतर या विद्यालय के बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षायें नहीं चलाई जायेगी।

11. विद्यालय सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम –1860 (अधिनियम संख्या–21 सन् 1860) के अधीन पंजीकृत समिति या तदसमय प्रवरित किसी विधि के अधीन गठित किसी सार्वजनिक न्यास द्वारा संचालित किया जाता है।

12. विद्यालय, किसी व्यक्ति समूह, या व्यष्टि संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों की प्रसुविधा के लिए संचालित नहीं किया जाता है।

13. लेखाओं की सम्परीक्षा और प्रमाणन किसी चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा किया जाना चाहिए और नियमानुसार समुचित लेखा विवरण तैयार किये जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति, प्रतिवर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को प्रषित की जानी चाहिए।

14. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता सम्बन्धित कोड संख्या 06/2016 है। कृपया इसको ध्यान रखा जाये और इस कार्यालय से किसी प्रकार के पत्र व्यवहार के लिए इस संख्यांक को उदधृत करने का कष्ट करें।

15. विद्यालय ऐसी रिर्पोट और सूचना प्रस्तुत करेगा, जो समय–समय पर शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित की जायें और राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का अनुपालन करता है, जो मान्यता सम्बन्धी शर्तो की निरन्तर पूर्ति को सुनिश्चित करने हेतु या विद्यालय की कार्यप्रणाली की कमियों को दूर करने के लिए जारी किया जाये।

16. समिति के पंजीकरण के नवीनीकरण यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाये।

17. विद्यालय प्रबन्धन/न्यास और कर्मचारी वर्ग समय–समय पर जारी किए गये राज्य सरकार के निर्देशों का अनुपालन करेगा।

18. संलग्न अनुलग्नक तीन के अनुसार अन्य शर्तें।

भवदीय

(राकेश सिंह)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
बलिया

पृ0सं0 व दिनांक उपरोक्तानुसार।
प्रतिलिपि– निम्नांकित अधिकारियों की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद इलाहाबाद।
2. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) आजमगढ़ मण्डल आजमगढ़।
3. जिला समाज कल्याण अधिकारी, बलिया।
4. खण्ड शिक्षा अधिकारी शिक्षा क्षेत्र ....गड़वार.... बलिया।

(राकेश सिंह)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
बलिया

Principal
Dr. I.D.V. Public School
Garwar Distt. Ballia (U.P.)

Manager
Dr. I.D. Verma Public Sch
Garwar - Ballia

अंग्रेजी माध्यम

कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बलिया।

आदेश संख्या : 3613-17 दिनांक: 27.6.2013

प्रबन्धक,

डा० आई० डी० वी० पब्लिक स्कूल गड़वार

शिक्षा क्षेत्र :– गड़वार

जनपद : बलिया।

विषय :– निःशुल्क और बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण पत्र।

प्रिय महोदय/महोदया,

आपके आवेदन पत्र दिनांक 31.10.2012 और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चात्वर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रतिनिर्देश से, मैं डा० आई० डी० वी० पब्लिक स्कूल गड़वार को कक्षा नर्सरी से कक्षा आठ तक हेतु दिनांक 01 जुलाई 2013 से दिनांक 30 जून 2016 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए अनंतिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तो के पूरा किये जाने के अधीन है :–

1. मान्यता के लिए स्वीकृति विस्तारणीय नही है और यह किसी भी रुप में कक्षा 8 के बाद मान्यता/संबंधन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नही है।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (उपबन्ध–1) और उ0 प्र0 निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 (उपबन्ध–2) के उपबन्धों का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा –1 में (या यथास्थिति नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा में बालको की संख्या के 25(पच्चीस) प्रतिशत तक आस–पड़ोस के कमजोर वर्गो, और सुविधा विहीन समूह के बालको को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा।
4. पैरा 3 में निर्दिष्ट बालको के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबन्धो के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
5. सोसाइटी/विद्यालय किसी कैपीटेशन शुल्क का संग्रहण नही करेगा और किसी बालक या उसके माता– पिता या संरक्षक को किसी स्किनिंग प्रकिया के अध्यधीन नही करेगा।
6. विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इनकार नही करेगा और वह अधिनियम की धारा –15 के उपबन्धों का पालन करेगा।
7. विद्यालय निम्नलिखित बातो को सुनिश्चित करेगा :–
   - प्रवेश दिये गये किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नही किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नही किया जायेगा।
   - किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न के अध्यधीन नही किया जायेगा।
   - प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नही की जायेगी।
   - प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 23 के अधीन अभिकथित किये गये अनुसार एक प्रमाण–पत्र दिया जायेगा।
   - अधिनियम के उपबन्ध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
   - अध्यापको की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अभिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है। परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हतायें नही हैं। पॉच वर्ष के अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताए अर्जित करेगें।

क्रमशः 2 पर

Scanned with OKEN Scanner

- अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है।
- अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन किया कलापो में नियोजित नहीं करेगें।

8. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा निर्धारित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यकम का अनुसरण करेगा
9. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथा विनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और सनियमों को बनाये रखेगा। अन्तिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गयी प्रसुविधायें निम्नानुसार हैं :–
   - विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल –
   - कुल निर्मित क्षेत्र –
   - क्रीड़ा स्थल का क्षेत्रफल –
   - कक्षाओं की संख्या –
   - प्राध्यापक सहकार्यालय–सहभण्डार के लिए कक्ष –
   - बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय –
   - पेयजल –
   - मिड डे मिल पकाने के लिए रसोई –
   - बाधा रहित पहुँच –
   - अध्यापन पाठन सामग्री/क्रीड़ा खेलकूद उपस्कर/पुस्तकालय की उपलब्धता –
10. विद्यालय के परिसर के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएं नही चलायी जायेगी।
11. विद्यालय भवन या अन्य संरचनाओं या कीड़ा स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जायेगा।
12. विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860(1860 का 21) में अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
13. स्कूल को किसी व्यष्टि, व्यष्टियों के समूह या संगम या किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नही चलाया जा रहा है।
14. लेखाओं की सम्परीक्षा (आडिट) और प्रमाणन किसी चार्टड एकाउन्टेन्ट द्वारा किया जाना चाहिए और नियमानुसार समुचित लेखा विवरण तैयार किये जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रतिवर्ष जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को प्रेषित की जानी चाहिए।
15. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता सम्बन्धित कोड सख्यांक ......06/2013...... है। कृपया इसको ध्यान रखा जाय और इस कार्यालय से किसी भी पत्र व्यवहार के लिए इस सख्यांक को उदघृत करने का कष्ट करें।
16. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करेगा जो समय–समय पर शिक्षा निदेशक/ जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे निर्देशों का पालन करेगा जो मान्यता सम्बन्धी शर्तो की निरन्तर पूर्ति के सुनिश्चित करने हेतु या विद्यालय की कार्य प्रणालियों को दूर करने के लिए जारी किये जायें।
17. सोसाइटी के नवीनीकरण यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाय।
18. विद्यालय प्रबन्धन/न्यास और कर्मचारी वर्ग समय–समय पर जारी किये गये राज्य सरकार के आदेशो का अनुपालन करेगा।
19. संलग्न उपबन्ध के अनुसार अन्य कोई शर्त।

भवदीय

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
बलिया

पृ०सं० व दिनांक उपरोक्तानुसार।
प्रतिलिपि निम्नांकित अधिकारियों की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. सचिव, उ०प्र० बेसिक शिक्षा परिषद इलाहाबाद।
2. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) आजमगढ़ मण्डल आजमगढ़।
3. जिला समाज कल्याण अधिकारी, बलिया
4. खण्ड शिक्षा अधिकारी शिक्षा क्षेत्र ......गड़वार......बलिया।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
बलिया

सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें, सब बढ़ें

Scanned with OKEN Scanner